मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/क/939/2917 भोपाल, दिनांक 23/01/2018

//परिपत्र//

1/ म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/क/939/2773–74 दिनांक 01.09.15 द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक को अनुसूची–09 में सरल कमांक–50 एवं 53 पर राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के मंडी निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक को लघुशास्ति अधिरोपित करने हेतु अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है।

2/ इस संबंध में यह देखने में आया है कि संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालकों द्वारा मंडी निरीक्षक एवं सहायक उपनिरीक्षक को अपने स्तर पर निलम्बन की कार्यवाही की जाकर विभागीय जॉच संस्थित करते हुए लघुशास्ति अधिरोपित के आदेश पारित किये जाते है।

3/ म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश कमांक/बोर्ड लेखा/1453–1454 दिनांक 01.12.98 तथा आदेश कमांक बोर्ड लेखा/99/01 दिनांक 01.04.99 द्वारा पूर्व प्रत्यायोजित प्रशासकीय अधिकार को म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/क/ 939/1421--22 दिनांक 29.04.15 द्वारा अधिक्रमित करते हुए नवीन प्रत्यायोजित प्रशाकीय अधिकार के सरल कमांक–09 में "राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 35 के तहत अधिकारी/कर्मचारी की निलम्बन की शक्ति" प्रबंध संचालक/ नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्यायोजित है।

4/म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक सी–6/01/2005/ एक/03 दिनांक 13.01.2005 द्वारा यह निर्णय प्रसारित किया गया है कि किसी भी शासकीय सेवक के विरूद्ध जांच में आरोपो के स्वरूपो को देखते हुये प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत हो कि संबंधित शासकीय सेवक पर, सेवा से हटाया जाना अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी कोई मुख्य शास्ति अधिरोपित की जा सकती है, तभी उसे निलंबित किया जाये अर्थात लघुशास्ति के मामले में निलंबन नही किया जाना चाहिये।

अतः सभी संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीनस्थ पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी को निलम्बन की कार्यवाही अपने स्तर पर नहीं करते हुये ऐसे मामलों में म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 13.01.2005 के अनुक्रम में राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम–35 के तहत प्रकरण में उल्लेखित कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल को भेजा जाये।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
/ भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / क / 939 / 2018 भोपाल, दिनांक 23/ 01 / 2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक / संयुक्त संचालक (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. मुख्य अभियंता / अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4. संयुक्त संचालक / उपसंचालक मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय................(समस्त)
5. संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक / अनुभाग अधिकारी / सहायक यंत्री (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
6. कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड तकनीकी संभाग..................................(समस्त)
7. समस्त अधिकारी / कर्मचारी मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय................/ तक.संभाग
8. सतर्कता / भण्डार / समस्त शाखा..........................मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल